उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–05/2016
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच
बनाम्
मेसर्स मनीष वस्त्रालय, प्रो0 श्री सुरेन्द्र दास

–: आदेश :–

25.09.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स मनीष वस्त्रालय, प्रो0 श्री सुरेन्द्र दास पिता श्री सत्यनारायण दास सा0–प्लॉट सं0–632, राजेन्द्र नगर, आर्य विहार मोड, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Land and building bearing deed no. 6935 dated 28.06.2010, Khata no. 04 Thana no. 22, Plot no. 632 (new plot no. 1648), Mouza Hesabatu, Area 10 decimals and structures thereon) को गिरवी रखते हुए 19,95,000/–(उन्नीस लाख पनचानबे हजार) रूपये का बैंक से ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–30.06.2016 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भगं नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी ने कपड़े की दुकान के लिए बैंक से ऋण लिया था। जिसकी सम्पूर्ण

राशि को उन्होंने कपड़े के व्यवसाय में लगा दिया। किन्तु उनका व्यवसाय नहीं चला और सारा पूँजी डूब गया। जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। विपक्षीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा अत्यन्त ही गरीब हैं। उनके द्वारा जिस भूमि को बैंक में गिरवी रखा गया है उसमें घर बना हुआ है जिसमें वह रहते हैं। उस घर के अलावा उनके पास और कोई दूसरा आवास नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 की धारा–13(3ए) अनुपालन नहीं किया गया है तथा गिरवी रखे गए प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वत्त्व विभाजन हेतु विपक्षी के भाई के द्वारा माननीय सब जज प्रथम बोकारो के न्यायालय में स्वत्त्व विभाजन वाद सं0–57/2016 दायर किया गया है। जो अभी विचारण हेतु लंबित है। अंत उनके अधिवक्ता के द्वारा वर्णित परिस्थिति के ध्यान में रखते हुए बैंक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। जहाँ तक गिरवी रखे गये प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वत्त्व विभाजन वाद का माननीय सब जज प्रथम बोकारो के न्यायालय में लंबित रहने की बात है, इस SARFAESI ACT–2002 की धारा–14(1 एवं 2) से कोई संबंध नहीं रखता है। विपक्षी के दलील एवं लिखित जबाब उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाती है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT 2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

25.09.17 25.09.17

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.28 17:07:52 +05:30
Location: 192.168.1.103